कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 422/01/डी.आर./एस–11/2016–17
प्रयागराजः दिनांकः 20 अप्रैल, 2020

सूचना

आयोग के ऑनलाइन विज्ञापन संख्या–01/2018–19, विभाग संख्याः एस–11/06 के द्वारा प्रकाशित उ0प्र0 के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के 544 पदों, जिसमें 404 पद अनारक्षित, 111 पद उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 29 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित तथा क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों हेतु 108 पद, उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु 10 पद तथा उ0प्र0 के दिव्यांग जन (चिहिन्त श्रेणी– ओ0ए0, ओ0एल0 पी0बी0) हेतु 16 पद आरक्षित हैं, का साक्षात्कार दिनांक 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 27 28 फरवरी, 2020 तथा 07 मार्च, 2020 को मा0 आयोग द्वारा सम्पन्न किया गया ।

2– साक्षात्कार हेतु अर्हता धारित करने वाले कुल 1288 अभ्यर्थियों एवं 01 अभ्यर्थी को रिट याचिका सं0–4276(एस/एस)/2020; राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.02.2020 के अनुपालन में साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से आहूत किया गया था । इस प्रकार साक्षात्कार हेतु आहूत अभ्यर्थियों की संख्या 1289 है । जिसमें से 1041 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुये । साक्षात्कारोपरान्त मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत पद हेतु 521 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु श्रेष्ठताक्रमानुसार सफल घोषित किया गया है। उक्त पदों का चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट **http://uppsc.up.nic.in** पर भी देखा जा सकता है ।

3– अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कुल 29 रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट सूची में उपलब्ध 07 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । शासनादेश/अधिसूचना संख्याः 2546/79–वी–1–07–1(क)49–2007, दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में अवशेष रिक्तियों को उपलब्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने की व्यवस्था दी गयी है किन्तु प्रश्नगत चयन में अनुसूचित जाति श्रेणी का कोई पद विज्ञापित न होने के कारण उक्त शासनादेश/अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया जा सका । अतः अनुसूचित जनजाति हेतु अवशेष 22 रिक्तियों को नियमानुसार पुनर्विज्ञापित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

4– सिविल मिस रिट याचिका सं0–4276(एस/एस)/2020; राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.02.2020 के अनुपालन में याची का साक्षात्कार दिनांक 07.03.2020 को सम्पन्न किया गया है एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनारक्षित श्रेणी के 01 पद का चयन परिणाम घोषित नहीं किया गया है ।

5– घोषित चयन परिणाम में अनुसूचित जनजाति के एक अभ्यर्थी को यद्यपि साक्षात्कार में अनारक्षित श्रेणी के कट–आफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त है किन्तु उनकी स्क्रीनिंग परीक्षा का प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के स्क्रीनिंग परीक्षा के कट–आफ मार्क्स से कम होने के कारण उन्हें अपनी मूल श्रेणी अनुसूचित जन जाति की रिक्तियों के सापेक्ष चयनित किया गया है ।

6–उक्त अभ्यर्थियों में जिनके नाम के सम्मुख औपबंधिक (PROV) अंकित है, उनका चयन औपबंधिक रूप से हुआ है तथा उनका चयन आयोग द्वारा इनसे वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने तक औपबंधिक रहेगा ।

(लखन लाल शिवहरे)
उप सचिव ।

......../2

Scanned with CamSca